

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. 117 / 2016

दर्ज दिनांक:-19.09.2016

सुरेश पुत्र फूलचंद व अन्य कुल कश 14 जाति जाटव निवासी बांसी बिरहना  
तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राधेश्याम व मोहनसिंह पुत्रगण मंगी जाति जाटव निवासी बांसी बिरहना तहसील व  
जिला भरतपुर।

..... अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक:-27.09.2019

पत्रावली पेश हुई। चूँकि मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. भी तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

सत्यमेव जयते

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

Web Copy - Not Official